

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

इ.ए. संख्या 38

सन् 2022

इन

ओ.ए. संख्या 165

सन् 2021

गिरजा शंकर राय व अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

.....प्रतिवादीगण

इंडेक्स

क्र. संख्या	विवरण / ब्यौरे	पृष्ठ संख्या
01	आपत्ति (OBJECTION) शपथ पत्र सहित	01-08
02	शासनादेश दिनांक 23.03.2018	09-11
03	स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.2023	12-19
04	मलवा और ठोस अपशिष्ट के फोटोग्राफ	20-27
05	जलकुंभी और जलीय खरपतवार से भरे कंक्रीट युक्त कुंड के फोटोग्राफ	28-58
	आदि	

दिनांक 15.11.2024

आवेदक/प्रार्थी

भानु सहाय

(भानु सहाय)

IA No. 333/2024

32, लक्षमनगंज, थाना कोतवाली झांसी, उत्तर प्रदेश 284002

ई-मेल- bhanusahayjhs@gmail.com

मो. 9415588500

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

इ.ए. संख्या 38

सन् 2022

इन

ओ.ए. संख्या 165

सन् 2021

गिरजा शंकर राय व अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

.....प्रतिवादीगण

आपत्ति (OBJECTION)

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में नगर आयुक्त, झांसी नगर निगम द्वारा प्रेषित की गई आख्या दिनांकित 30.07.2024 पर निम्नलिखित आपत्ति प्रेषित की जा रही है:-

1. यह कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 में नगर आयुक्त, झांसी नगर निगम को पूर्व पारित आदेश दिनांक 03.01.2024 में निहित टिप्पणियों/निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था जो निम्नवत है:-
 4. Hence, we direct Commissioner Municipal Corporation, Jhansi to file a report within six weeks in terms of the observation/directions contained in the order dated 03.01.2024. In the report, Commissioner, Municipal Corporation will also disclose the nature of construction which is raised /existing in the middle of the pond and quantity of treated and untreated sewage water discharge in the pond, original area of the pond and present existing area.
2. यह कि नगर आयुक्त, झांसी नगर निगम द्वारा जानबूझकर माननीय न्यायाधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 30.04.2024 में निहित टिप्पणियों/निर्देशों के अनुपयुक्त (Opposite) पूर्व की भांति झूठी, मनगढ़ंत एवं भ्रामक रिपोर्ट दाखिल की गई है।
3. यह कि उक्त आख्या दिनांक 30.07.2024 के पैरा 1.2 में उल्लेख किये गये 62 होल एवं एनेक्सचर 1 में उक्त होल का फोटोग्राफ दिखाया गया है, वह लक्ष्मी ताल की सीमा से लगभग 50

मा 2 2024

फीट से लेकर 400 फीट ज्यादा अंदर की दूरी पर बनाएं गये कंक्रीट युक्त कुंड की दीवारों पर बने है जिसे संलग्न फोटोग्राफ में देखा जा सकता है।

4. यह कि उक्त आख्या दिनांक 30.07.2024 के पैरा 2 में उल्लेख किये गये मार्ग व मिट्टी जिसे एनेक्सचर 2,3,4 की फोटोग्राफ में दिखाया गया है, वह कंक्रीट युक्त मार्ग लक्ष्मीताल की सीमा से लगभग 50 फीट से लेकर 400 फीट ज्यादा अंदर की दूरी पर बनाया है तथा लक्ष्मीताल और कंक्रीट युक्त कुंड के बीच की जलमग्न 15 हेक्टेयर भूमि को गाद, मलवा और ठोस अपशिष्ट (जिसे मिट्टी बताया गया है) डालकर पाटा गया है।
5. यह कि उक्त आख्या दिनांक 30.07.2024 के पैरा 5 में लक्ष्मीताल के मूल 33.068 हेक्टेयर क्षेत्र का और अतिक्रमण न होने का उल्लेख किया गया है जिसे एनेक्सचर 10 की गूगल इमेजरी में लाल बिन्दुओं से सीमांकन किया गया है। उक्त लाल बिन्दुओं के अंदर तथा कंक्रीट युक्त कुंड के बाहर लक्ष्मीताल की जलमग्न 15 हेक्टेयर भूमि को (जिसे जलग्रहण क्षेत्र से बाहर कर दिया है) और अतिक्रमण एवं नगर के नालो का पानी निकालने के लिए निर्माण किये गये विशाल नाले तथा कंक्रीट युक्त चारदीवारी, पथ-मार्ग, आदि के निर्माण कार्यों को स्पष्ट दिखा जा सकता है।
6. यह कि लक्ष्मी ताल के मूल 33.068 हेक्टेयर क्षेत्र का सीमांकन नहीं करने और लक्ष्मीताल की जलमग्न 15 हेक्टेयर भूमि को जलग्रहण क्षेत्र से बाहर करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त आख्या दिनांक 30.07.2024 के पैरा 5 में उल्लेख सीमांकन भी पूर्व प्रेषित की गई आख्याओं की तरह झूठा, मनगढ़ंत एवं भ्रामक है।
7. यह कि नगर आयुक्त, झांसी नगर निगम द्वारा उक्त रिपोर्ट में, लक्ष्मी ताल के मूल जलग्रहण 33.068 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर लगभग 18 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाएं गये कंक्रीट युक्त कुंड एवं उक्त कुंड के चारो ओर निर्माण की गई चारदीवारी और पथ-मार्ग से लक्ष्मी ताल पर उसके प्रतिकूल प्रभाव एवं अपेक्षित लाभ के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
8. यह कि नगर आयुक्त, झांसी नगर निगम द्वारा उक्त रिपोर्ट में, लक्ष्मी ताल के मूल जलग्रहण 33.068 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर बनाएं गये कंक्रीट युक्त कुंड एवं उक्त कुंड के चारो ओर निर्माण की गई चारदीवारी, पथ-मार्ग एवं नाले के क्षेत्रफल के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
9. यह कि नगर आयुक्त, झांसी नगर निगम द्वारा प्रेषित उक्त रिपोर्ट में, लक्ष्मी ताल का वर्तमान जलग्रहण क्षेत्र के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
10. यह कि झांसी प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा लक्ष्मीताल का सौंदर्यीकरण कराने के नाम पर तालाब के बड़े हिस्से को बाहर कर उसे पाटकर उसपर नगर के नालो का पानी निकालने के लिए विशाल नाले का निर्माण एवं चारदीवारी, पथ-मार्ग आदि के कंक्रीट युक्त निर्माण कर लक्ष्मीताल पारिस्थितिकी तंत्र को बुरी तरह से खराब व नष्ट कर दिया गया है।

21/2/2024

11. यह कि झांसी नगर के गंदे नालो का पानी निकालने के लिए लक्ष्मीताल की जलमग्न भूमि पर विशाल नाले का निर्माण कर दिया गया है।
12. यह कि झांसी प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने जिस सरकारी धन का उपयोग लक्ष्मीताल पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में लगाना चाहिए था उसका उपयोग लक्ष्मीताल को कंक्रीट युक्त कुंड बनाकर पारिस्थितिकी तंत्र को बुरी तरह से खराब व नष्ट करने में लगाकर बंदरबांट कर लिया है।
13. यहां यह उल्लेखनीय है कि झांसी प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अब तक प्रेषित की गई आख्याओं, दस्तावेजों और तर्कों में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय न्यायाधिकरण के दिशा-निर्देशों व आदेशों और केन्द्र व राज्य सरकार के शासनादेशों के विरुद्ध जाकर लक्ष्मीताल के जलमग्न क्षेत्र को बाहर उसे पाटने और उसमें नाले, चारदीवारी, पथ-मार्ग आदि के कंक्रीट युक्त निर्माण कार्य करने से लक्ष्मीताल पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे और क्या लाभ हो रहा है।
14. यह कि उपरोक्त प्रकरण में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों में लक्ष्मीताल और उसके आसपास क्षेत्र की बहाली के लिए जैसे लक्ष्मीताल की सीमाओं का सीमांकन करने, पानी की गुणवत्ता, ताल और इसके जलग्रहण, जलमग्न क्षेत्र में सीवेज और ठोस और अन्य अपशिष्ट के निर्वहन की रोकथाम और अतिक्रमण हटाने के लिए जारी किये गये दिशा-निर्देशों और आदेशों के अनुक्रम में उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
15. यह कि उपरोक्त प्रकरण में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में शासन-प्रशासन और नगर निगम द्वारा जानबूझकर तथ्यों की गलत व्याख्या कर मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठी आख्याएं प्रेषित की जा रहीं हैं। जिसके संबंध में आवेदकों द्वारा अब तक प्रेषित किये गये सभी दस्तावेजों, आपत्तियों, स्थगन प्रार्थना पत्र और लक्ष्मीताल के स्थलीय फोटोग्राफ को माननीय न्यायाधिकरण द्वारा देखा व पढ़ा जावे तो सभी आख्याओं के झूठी होने की समस्त स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
16. उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायाधिकरण में लक्ष्मी ताल प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद झांसी प्रशासन और झांसी नगर निगम द्वारा सरकारी धन (करोड़ों रुपया) का बंदरबांट करने के लिए जानबूझकर माननीय न्यायाधिकरण की अवज्ञा करते हुए लक्ष्मी ताल के अंदर लगभग 15 हेक्टेयर जलमग्न क्षेत्र में लक्ष्मीताल की सीमा से लगभग 50 फीट से लेकर 400 फीट ज्यादा अंदर की दूरी पर तथा 20 फीट नीचे नगर के नालो का पानी निकालने के लिए कंक्रीट युक्त विशाल नाले, चारदीवारी, पथ-मार्ग आदि के निर्माण कार्य करवा पाट दिया गया है।

जब कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और देश के माननीय उच्च न्यायालयों सहित माननीय न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर जलाशयों, तालाबों व झीलों के मूल स्वरूप परिवर्तन करने से

212/2014

रोकने, कब्जा, अतिक्रमण हटाने तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण और उनके विकास कार्यों हेतु दिशा-निर्देश व आदेश जारी किये तथा उनका पालन कराने के अनुक्रम में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा शासनादेश जारी किये जाते रहे हैं। इसके अलावा माननीय न्यायाधिकरण में योजित ओ.ए.सं. 165/2013 एवं ई.ए.सं. 34/2017 आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1022/नौ-5-2018-92सा/18 दिनांक 23.03.2018 में प्राकृतिक अवशेष-नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जलाशयों, तालाबों व झीलों के विकास कार्य हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। जो निम्नवत है:-

- (1) प्राकृतिक अवशेष-नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जलाशयों, तालाबों व झीलों के विकास कार्य:-
- (अ) जलाशयों, तालाबों व झीलों के चारों ओर मिट्टी का पुस्ता बनाकर अधिकतम 2.10 मीटर चौड़ाई में फ्लाई ऐश (Fly Ash) ब्रिक/स्ट्रेट ओवर ब्रन्ट ब्रिक/परमिबुल या सेमी-परमिबुल, फरफारेटेड ब्लॉक ही लगाया जा सकता है। सीमेंट, कंक्रीट, इन्टरलाकिंग, टाईल्स अथवा बलैक टॉप रोड पूर्ण रूप से निषिद्ध रहेगी।
- (ब) जलाशयों, तालाबों को प्रभावी रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उपयोग में लाने हेतु चारों ओर के क्षेत्र का ड्रेनेज यथासंभव इन्ही जलाशयों में निस्तारित करने हेतु प्राविधान किये जायेंगे।

इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने जानबूझकर सरकारी धन का बंदरबांट करने के लिए लक्ष्मी ताल के अंदर लगभग 15 हेक्टेयर जलमग्न क्षेत्र को पाटकर उसमें कंक्रीट युक्त निर्माण कार्य करवा दिया है।

17. यह कि माननीय न्यायाधिकरण में लक्ष्मी ताल का प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने सरकारी धन का बंदरबांट करने के लिए जानबूझकर माननीय न्यायाधिकरण की अवज्ञा करते हुए लक्ष्मी ताल के मूल जलग्रहण 33.068 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर लगभग 18 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाए गये कंक्रीट युक्त कुंड एवं उक्त कुंड के चारों ओर चारदीवारी और पथ-मार्ग व विशाल नाले का निर्माण कर दिया गया है इसके अलावा कंक्रीट युक्त कुंड के बाहर और लक्ष्मी ताल के अंदर 15 हेक्टेयर क्षेत्र में मलवा और ठोस अपशिष्ट डालकर लक्ष्मी ताल को पाटा जा रहा है। जो जानबूझकर की जा रही माननीय न्यायाधिकरण की अवज्ञा करने की श्रेणी में आता है।
18. यह कि सरकारी धन (करोड़ों रुपया) का बंदरबांट करने के लिए जानबूझकर माननीय न्यायाधिकरण की अवज्ञा करते हुए लक्ष्मी ताल के अंदर जलग्रहण क्षेत्र में कराए जा रहे कंक्रीट युक्त चारदीवारी, पथ-मार्ग आदि के निर्माण कार्यों से माननीय न्यायाधिकरण का ध्यान हटाने के लिए, अधिकारियों ने साजिशान एतिहासिक विरासत वाले सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर, मस्जिद को अतिक्रमण का मुद्दा बनाया तथा सच्चाई छुपाने के लिए फर्जी केस लगाकर शिकायतकर्ताओं/एप्लिकेंट को परेशान किया। जो जानबूझकर माननीय न्यायाधिकरण की अवज्ञा करने की श्रेणी में आता है।

21/2/2018

19. यह कि माननीय न्यायाधिकरण में प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद वर्ष 2023 में झांसी प्रशान और झांसी नगर निगम द्वारा लक्ष्मी ताल के जलमग्न क्षेत्र के अंदर कंक्रीट युक्त चारदीवारी, पथ-मार्ग आदि का निर्माण कराया जा रहा था। जिसे रोकने हेतु आवेदक नरेन्द्र कुशवाहा ने माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांक 25.03.2023 को स्थगन प्रार्थना-पत्र (E.A. No. 38/2022 के पृष्ठ संख्या 255 लगायत 262 तक) प्रेषित किया था। उक्त स्थगन प्रार्थना-पत्र में संलग्न फोटोग्राफ में लक्ष्मी ताल के जलमग्न क्षेत्र के अंदर लगभग 20 फीट ऊंची कंक्रीट युक्त दीवारे खड़ी कर उस पर विशाल नाले, पथ-मार्ग आदि के निर्माण कार्य कराकर पाटे जा रहे है लक्ष्मी ताल को स्पष्ट देखा जा सकता है।
20. यह कि उक्त स्थगन प्रार्थना-पत्र दिनांक 25.03.2023 में संलग्न फोटोग्राफ संख्या 257 व 259 में लक्ष्मी ताल के जलमग्न क्षेत्र के अंदर खड़ी की जा रही कंक्रीट युक्त दीवारों और विशाल नाले को स्पष्ट देखा जा सकता है कि मलवा और ठोस अपशिष्ट डालकर लक्ष्मी ताल के काफी बड़े हिस्से को लगभग 20 फीट तक पाट दिया गया है।
21. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि झांसी प्रशान और झांसी नगर निगम द्वारा लक्ष्मी ताल के अंदर जलमग्न क्षेत्र में कराएं जा रहे कंक्रीट युक्त निर्माण कार्यों से माननीय न्यायाधिकरण का ध्यान हटाने तथा सच्चाई छुपाने के लिए यदि अधिकारियों ने एतिहासिक विरासत वाले सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर, मस्जिद को अतिक्रमण का मुद्दा न बनाया होता व झूठी, मनगढ़ंत एवं भ्रामक रिपोर्टें प्रेषित न की होती तथा पैरवी कर रहे आवेदकों को रोकने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज कर परेशान न किया होता तो निश्चित ही माननीय न्यायाधिकरण द्वारा स्थगन प्रार्थना-पत्र दिनांक 25.03.2023 को देखा व पढ़ा गया होता और लक्ष्मी ताल को किये जा रहे कंक्रीटीकरण की रोक लगा दी गई होती, जिससे आज लक्ष्मी ताल (18 हेक्टेयर क्षेत्र) कंक्रीट युक्त कुंड नहीं बनता और न ही सरकारी धन (करोड़ों रुपया) का बंदरबांट होता जो सौंदर्यीकरण के नाम पर किया गया है।
22. यह कि आज (वर्तमान) भी लक्ष्मी ताल के अंदर मलवा और ठोस अपशिष्ट डालकर लक्ष्मी ताल को पाटा जा रहा है, जिसे संलग्न फोटोग्राफ में स्पष्ट देखा जा सकता है।
23. यह कि लक्ष्मी ताल के अंदर लगभग 18 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया गया कंक्रीट युक्त कुंड वर्तमान में जलकुंभी और जलीय खरपतवार से भर गया है, जिसे संलग्न फोटोग्राफ में स्पष्ट देखा जा सकता है।
24. यह कि लक्ष्मी ताल के मूल जलग्रहण क्षेत्र 33.068 हेक्टेयर में से लगभग 15 हेक्टेयर भूमि को जलग्रहण क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है, जिसे संलग्न फोटोग्राफ में स्पष्ट देखा जा सकता है।
25. यह कि लक्ष्मी ताल और राजकीय नारायण बाग के बीच में बने बांध की दीवार पर जल भराव के प्राकृतिक रेखा चिन्ह बने है, जिससे लगभग 50 फीट से 300 की दूरी पर तथा 20 फीट नीचे विशाल नाला व पथ-मार्ग आदि के कंक्रीट युक्त निर्माण कराएं गये है। जिसे संलग्न फोटोग्राफ में स्पष्ट देखा जा सकता है।

मा 2 18/12

26. यह कि लक्ष्मी ताल के अंदर लगभग 15 हेक्टेयर क्षेत्र में शहर का मलवा और ठोस अपशिष्ट से लक्ष्मी ताल को पाटकर उसपर कंक्रीट युक्त निर्माण कार्य कराएँ गये है। यदि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा प्रकरण की पत्रावली में दिये गये प्रार्थना-पत्र व आपत्ति व स्थगन प्रार्थना-पत्र को और इनमें संलग्न फोटोग्राफ को देखा व पढ़ा जावे तो समस्त स्थिति स्पष्ट हो जावेगी की अधिकारियों ने सरकारी धन (करोड़ों रुपया) का बंदरबांट करने के लिए लक्ष्मी ताल के अंदर कंक्रीट युक्त निर्माण कार्य करवाएँ एवं झूठी, मनगढ़ंत, भ्रामक प्रेषित की है। जिसकी न्यायिक जांच कराई जाना बेहद जरूरी है।
27. यह कि उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष शासन-प्रशासन और नगर निगम झांसी द्वारा लक्ष्मी ताल के अतिक्रमण और कंक्रीटीकरण प्रकरण की सच्चाई छुपाने के लिए मैं शुरू से ही झूठी, मनगढ़ंत एवं भ्रामक रिपोर्टें प्रेषित की जाती रही है। इस लिए लक्ष्मी ताल के अतिक्रमण और कंक्रीटीकरण की न्यायिक जांच कराई जाना बेहद जरूरी है। ताकि माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष सच्चाई सामने आ सके तथा लक्ष्मी ताल को अतिक्रमण व कंक्रीट मुक्त कराकर मूल स्वरूप में बहाल किया जा सके।
28. यहां यह उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और देश के माननीय उच्च न्यायालयों सहित माननीय न्यायाधिकरण द्वारा बार-बार दोहराया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 (ए) के तहत पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण के हिस्से के रूप में जल निकायों और वन, हरित पट्टी, पार्क आदि को अतिक्रमण और प्रदूषण से बचाना राज्य की जिम्मेदारी है। जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उत्पन्न "जीवन के अधिकार" के हिस्से के रूप में स्वच्छ जल और वायु प्रदान कराना शामिल है और इस दायित्व को मुख्य रूप से स्थानीय निकायों और नियामकों सहित राज्य मशीनरी द्वारा पूरा किया जाना है। इसके बावजूद जानबूझकर अधिकारियों ने सरकारी धन (करोड़ों रुपया) का बंदरबांट करने के लिए लक्ष्मी ताल के अंदर बड़े हिस्से पर कंक्रीट युक्त निर्माण कार्य करवा दिये है। जिसकी न्यायिक जांच कराई जाना बेहद जरूरी है।

ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और देश के माननीय उच्च न्यायालयों सहित माननीय न्यायाधिकरण द्वारा जलाशयों, तालाबों व झीलियों के कब्जा, अतिक्रमण तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण और उनके विकास कार्यों हेतु जारी आदेश, दिशा-निर्देश तथा उनका पालन कराने के अनुक्रम में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेशों की जानबूझकर अवज्ञा करते हुए लक्ष्मी ताल के अंदर जलमग्न क्षेत्र में कंक्रीट युक्त निर्माण कार्य कराने तथा माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष लक्ष्मी ताल के अतिक्रमण और कंक्रीटीकरण की सच्चाई छुपाने एवं झूठी, मनगढ़ंत एवं भ्रामक रिपोर्टें प्रेषित करने वाले दोषी उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Pollutor Pays Principle) एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत दंडात्मक कार्यवाही किया जाना अतिआवश्यक है। ताकि अन्य कोई ऐसा दुराचार करके सार्वजनिक विश्वास (Public Trust) को नुकसान न पहुँचाएँ और कानूनी प्रणाली की निष्पक्षता (Fairness) को खतरे में डालने का प्रयास न करें।

21/2/2014


॥ प्रार्थना ॥

माननीय न्यायाधिकरण से विनम्र प्रार्थना है कि उपर्युक्त उल्लिखित तथ्यों/साक्ष्यों एवं परिस्थितियों एवं पर्यावरण/न्याय हित में निम्नलिखित कार्यवाही/आदेश पारित करने की कृपा करे:-

1. माननीय न्यायाधिकरण में लक्ष्मी ताल प्रकरण विचाराधीन होने के दौरान जानबूझकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायाधिकरण के दिशा-निर्देशों व आदेशों तथा उनका पालन कराने के अनुक्रम में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेशों की अवज्ञा करते हुए लक्ष्मी ताल के जलमग्न क्षेत्र को पाटने व विशाल नाला व अतिक्रमण व चारदीवारी, पथ-मार्ग आदि के कंक्रीट युक्त निर्माण कार्य कराने में संलिप्त (Involved) व उक्त अतिक्रमण व निर्माण कार्यों की सच्चाई छुपाने और माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष झूठी, मनगढ़ंत एवं भ्रामक रिपोर्ट प्रेषित करने के प्रकरण की न्यायिक जांच कराने का आदेश।
2. लक्ष्मी ताल के अतिक्रमण व चारदीवारी, पथ-मार्ग आदि के कंक्रीट युक्त निर्माण कार्यों की न्यायिक जांच कराने का आदेश।
3. लक्ष्मी ताल के समस्त अतिक्रमण व नाला, चारदीवारी, पथ-मार्ग आदि के कंक्रीट युक्त निर्माणों को हटाने और लक्ष्मी ताल को मूल स्वरूप में बहाल कराने का आदेश।
4. लक्ष्मी ताल के जलमग्न क्षेत्र को पाटने व अतिक्रमण व चारदीवारी, पथ-मार्ग आदि के कंक्रीट युक्त निर्माण कार्य कराने में संलिप्त (Involved) व उक्त अतिक्रमण व निर्माण कार्यों की सच्चाई छुपाने और माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष झूठी, मनगढ़ंत एवं भ्रामक रिपोर्ट प्रेषित करने वाले दोषी उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Pollutor Pays Principle) एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने का आदेश।
5. लक्ष्मी ताल को अतिक्रमण व नाला व चारदीवारी, पथ-मार्ग आदि के कंक्रीट युक्त निर्माणों से मुक्त कराने और लक्ष्मी ताल को मूल स्वरूप में बहाल कराने हेतु पर्यावरण एवं न्यायहित में अन्य कोई आदेश, जांच/कार्यवाही जो माननीय न्यायाधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे करने की कृपा करें।

दिनांक 15.11.2024

आवेदक/प्रार्थी



(भानु सहाय)

IA No. 333/2024

32, लक्ष्मनगंज, थाना कोतवाली झांसी, उत्तर प्रदेश 284002

ई-मेल- bhanusahayjhs@gmail.com

मो. 9415588500



8
408

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

इ.ए. संख्या 38

सन् 2022

इन

ओ.ए. संख्या 165

सन् 2021

गिरजा शंकर राय व अन्य

.....वादीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

....प्रतिवादीगण

शपथ-पत्र



शपथकर्ता मिनजानिव- भानू सहाय निवासी- 32, लक्षमनगंज, थाना कोतवाली झांसी, उत्तर प्रदेश 284002

मैं भानू सहाय शपथकर्ता उपरोक्त शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पक्षकार है एवं हालात प्रकरण से पूरी तरह से वाकिफ हैं। तथा आपत्ति (OBJECTION) देने में सक्षम है।
2. यह कि शपथकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति (OBJECTION) सही-सही तथ्यों में तहरीर की गई है जिन्हें पुनः संक्षिप्ता के कारण शपथपत्र में दोहराया नहीं जा रहा है इसलिए उन्हें इस शपथपत्र में अडॉप्ट किया जा रहा है जो इस शपथपत्र का भाग माना जावें।

मैं शपथकर्ता तस्दीक करता हूँ कि वर्तमान शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरे निजी ज्ञान और जानकारी अनुसार सब सत्य और सही है तथा इसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह तस्दीक आज दिनांक 15-11-2024 को वमुकाम अहाता कचहरी झांसी में की गयी।

No. 7.9.24
Certified that the foregoing statement
Sworn before me this day at
by Shri. Bhanu Sahay
whom the contents of this affidavit have
been read over and explained and who
is identified by Shri. Mansingh Yadav
Received the fee Rs. 15.11.24

MANSINGH YADAV
ADVOCATE
NOTARY DISTRICT JHANSI

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

Mansingh Yadav
(भानु सहाय)

IA No. 333/2024

प्रेषक,

राधे कृष्ण,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक : 23 मार्च, 2018

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए०नं०-165/2013 एवं ई०ए०नं०-34/2017 आकाश वशिष्ठ बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.07.2016 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-1213/एन.ए.एल./विधि/एन.जी.टी./2017-18, दिनांक 17.03.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए०नं०-165/2013 एवं ई०ए०नं०-34/2017 आकाश वशिष्ठ बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.07.2016 के अनुपालन के संबंध में में कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए०नं०-165/2013 एवं ई०ए०नं०-34/2017 आकाश वशिष्ठ बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.07.2016 निम्नवत् है:-

Learned counsel appearing for the Applicant has drawn our attention to the letter issued by the Ministry of urban Development on 3rd September, 2013 where in interalia it has been stated that there is increased run off due to inappropriate concretization/paving in urban area and increased intensity of precipitation due to climate change. Not only this, even the letter issued by the same Ministry on 21 st July, 2008 mentions about that there should not be tilling and in appropriate concretization everywhere. This specifically further provides that where is a heavy pedestrain traffic. it will be appropriate to tile the same after taking due care by the Committee.

Having heard the Learned counsel appearing for the parties. we see no reason to defer the recommendation made by the committee, while accepting the recommendation the competent Authority and the State Department to issue policy guidelines in consonance with these Minutes Within four weels from today.

in the event there in no proper compliance of the recommendation in the area for which the Applicant had approached the Tribunal. the hc would be at liberty to file fresh Application, if he so desires.

In the meanwhile, we also direct MoEF to consider this roport and issue appropriate directions in that behalf, if required.

3- उल्लेखनीय है कि ओ०ए०नं०-165/2013 आकाश वशिष्ठ बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.09.2015 के अनुपालन में जिलाधिकारी, गाजियाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 15.01.2016 को बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्न संस्तुतियां की गयी है:-

10

- (1) प्राकृतिक अवशेष-नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जलाशयों, तालाबों व झीलों के विकास कार्य:-
- (अ) जलाशयों, तालाबों व झीलों के चारों ओर मिट्टी का पुस्ता बनाकर अधिकतम 2.10 मीटर चौड़ाई में फ्लाय ऐश (Fly Ash) ब्रिक/स्ट्रेट ओवर ब्रन्ट ब्रिक/परमिएबुल या सेमी-परमिएबल फरफारेटेड ब्लॉक ही लगाया जा सकता है। सीमेन्ट कंक्रीट इन्टरलाकिंग टाइल्स अथवा ब्लैक टॉप रोड पूर्ण रूप से निषिद्ध रहेगी।
- (ब) जलाशयों, तालाबों को प्रभावी रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उपयोग में लाने हेतु चारों ओर के क्षेत्र का ड्रेनेज यथासंभव इन्हीं जलाशयों में निस्तारित करने हेतु प्राविधान किये जायेंगे, परन्तु औद्योगिक क्षेत्रों का प्रवाह उचित/ट्रीटमेन्ट के उपरान्त ही इनमें मिलाया जाय।
- (2) पार्कों में पक्का निर्माण:-
- (अ) फुटपाथ में स्टेबिलाइज्ड सॉयल (Stabilized Soil)/कोर्स सैण्ड/ग्रेनुलर सबवेस (G.S.B.) का ही उपयोग इसी प्राथमिकता में किया जायेगा।
- (ब) पार्कों में चाहर दीवारी, फुटपाथ-फव्वारा, अवस्थापना द्वारा कियान्वित कार्य जैसे-जनसुविधा आदि में कुल आच्छादित क्षेत्रफल सम्बन्धित पार्क के कुल क्षेत्रफल का 5प्रतिशत से अधिक न किया जाय।
- (3) सड़कों के किनारे:-
- (अ) सड़कों के किनारे कैंरिज-वे को छोड़कर किनारों पर दोनों ओर अधिकतम 0.50 मीटर चौड़ाई में ही परफोरेटेड ब्लॉक्स/फ्लाय ऐश ब्रिक/स्ट्रेट ओवर बन्ट ग्निक ही लगाये जा सकते हैं।
- (ब) जिन सड़कों पर फुटपाथ का प्राविधान किया गया है, वहाँ फुटपाथ पर परमिएबल परफोरेटेड ब्लॉक्स/फ्लाय ऐश ब्रिक/स्ट्रेट ओवर बन्ट ब्रिक का ही प्रयोग किया जायेगा।

जिन सड़कों पर फुटपाथ का प्राविधान है। फुटपाथ के ग्रेनुलर के ऊपर सबवेस/डब्ल्यूएम0एम0 के ऊपर इन्टरलाकिंग टाइल्स/ब्रिक-ऑन-एज (खड़जा) लगाया जा सकता है। फुटपाथ की अधिकतम चौड़ाई 1.50 मीटर ही हो सकती है। सड़कों का शेष भाग नाला, नाली एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं हेतु खाली रहेगा।

प्रोफेसर बी0 भट्टाचार्य, आई0आई0टी0 दिल्ली सहित सभी संबंधित सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव पर संहमति व्यक्त की गयी।

4- उक्त के संबंध में शासन द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही कराये जाने का निर्णय लिया गया है:-

- (1) प्राकृतिक अवशेष-नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जलाशयों, तालाबों व झीलों के विकास कार्य:-
- (अ) जलाशयों, तालाबों व झीलों के चारों ओर मिट्टी का पुस्ता बनाकर अधिकतम 2.10 मीटर चौड़ाई में फ्लाय ऐश (Fly Ash) ब्रिक/स्ट्रेट ओवर ब्रन्ट ब्रिक/परमिएबुल या सेमी-परमिएबल फरफारेटेड ब्लॉक ही लगाया जाय। सीमेन्ट कंक्रीट इन्टरलाकिंग टाइल्स अथवा ब्लैक टॉप रोड पूर्ण रूप से निषिद्ध होंगे।
- (ब) जलाशयों, तालाबों को प्रभावी रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उपयोग में लाने हेतु चारों ओर के क्षेत्र का ड्रेनेज यथासंभव इन्हीं जलाशयों में निस्तारित करने हेतु प्राविधानित किये जाय, परन्तु औद्योगिक क्षेत्रों का प्रवाह उचित/ट्रीटमेन्ट के उपरान्त ही इन जलाशयों में मिलाया जाय।
- (2) पार्कों में पक्का निर्माण:-
- (अ) फुटपाथ में स्टेबिलाइज्ड सॉयल (Stabilized Soil)/कोर्स सैण्ड/ग्रेनुलर सबवेस (G.S.B.) का ही उपयोग प्राथमिकता पर किया जाय।

- (ब) पार्को में चाहर दीवारी, फुटपाथ-फव्वारा, अवस्थापना मद से क्रियान्वित कार्य जैसे-जनसुविधा आदि में कुल आच्छादित क्षेत्रफल सम्बन्धित पार्क के कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाय।
- (3) सड़कों के किनारे:-
- (अ) सड़कों के किनारे कैंरिज-वे को छोड़कर किनारों पर दोनों ओर अधिकतम 0.50 मीटर चौड़ाई में ही परफोरेटेड ब्लॉक्स/फलाई ऐश ब्रिक/स्ट्रेट ओवर ब्रन्ट ब्रिक का प्रयोग किया जाय।
- (ब) जिन सड़कों पर फुटपाथ का प्राविधान किया गया है, वहाँ फुटपाथ पर परमिएबल परफोरेटेड ब्लॉक्स/फलाई ऐश ब्रिक/स्ट्रेट ओवर ब्रन्ट ब्रिक प्रयोग किया जायेगा।
- (स) जिन सड़कों पर फुटपाथ का प्राविधान किया गया है, वहाँ फुटपाथ के ग्रेनुलर के ऊपर सबवेस/डब्लूएम0एम0 के ऊपर इन्टरलाकिंग टाईल्स/ब्रिक-ऑन-एज (खड़जा) लगाया जाय। फुटपाथ की अधिकतम चौड़ाई 1.50 मीटर ही हो सकती है। सड़कों का शेष भाग नाला, नाली एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं हेतु खाली रखा जाय।
- 5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें। इस संबंध में नागर निकायों द्वारा कोई नियम/बायलाज बनाये गये हैं, तो उनमें तदनुसार संशोधन करने पर विचार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।संख्या-1022(1)/नौ-5-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- अपर परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 7- स्थाई अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

इ.ए. संख्या 38

सन् 2022

इन

ओ.ए. संख्या 165

सन 2021

गिरजा शंकर राय व अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

इंडेक्स

क्र. संख्या	<u>विवरण / ब्यौरे</u>	पृष्ठ
01.	स्थगन प्रार्थनापत्र	
02.	लक्ष्मी तालाब के कंक्रीट नुमा विकास / सौन्दर्यीकरण का कार्यों की फोटो	
03.	लक्ष्मी तालाब की टोपोशीट इमेज (भारतीय सर्वेक्षण विभाग)	
04.	लक्ष्मी तालाब की सैटेलाइट इमेज (गूगल अर्थ) मई 2006	

दिनांक 25.03.2023

आवेदनकर्ता

नरेन्द्र कुशवाहा
(नरेन्द्र कुशवाहा)

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

इ.ए. संख्या 38

सन् 2022

इन

ओ.ए. संख्या 165

सन 2021

गिरजा शंकर राय व अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

स्थगन प्रार्थनापत्र

श्रीमानजी,

निवेदन है कि झांसी प्रशासन और झांसी नगर निगम के द्वारा 33.068 हेक्टेयर के प्राचीन लक्ष्मी तालाब का मूल स्वरूप बिगाड़ते हुए, तालाब की जलमगन रहने वाली भूमि पर कंक्रीट नुमा तालाब के अन्दर चारो ओर पाथ वे, सेल्फी प्वाइंट, प्रतिमा स्थापना स्थल आदि के विकास/सौन्दर्यीकरण का कार्य कराकर तालाब के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुंचाई जा रही है, जो जल अधिनियम और वायु अधिनियम के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। यह कार्य लक्ष्मी तालाब के अतिक्रमण एवं अतिक्रमणकारियों को बचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। मई 2006 की गूगल सैटेलाइट इमेज एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग की वर्ष 2011 की टोपोशीट में स्पष्ट दिख रहा है कि लक्ष्मी तालाब पानी भरा हुआ है, तालाब की जलमगन रहने वाली उक्त भूमि के अंदर किये जा रहे इन विकास/सौन्दर्यीकरण कार्यों से तालाब के जल भराव में लगभग 50% की कमी आ जायेगी। जिससे तालाब के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर और भूमिगत जल के पुनर्भरण की प्रक्रिया प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आस-पास के क्षेत्र के जल स्तर में गिरावट आने के साथ साथ जीव-जन्तुओं के लिए घातक सावित होगा, तथा लक्ष्मी तालाब के इन विकास/सौन्दर्यीकरण कार्यों को सीधे रुकवाया जाना और लक्ष्मी तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराकर मूल स्वरूप में विकसित किया जाना अतिआवश्यक है।

याचिकाकर्ता द्वारा मूल ओ.ए. संख्या 165/2021 में प्रेषित आपत्ती दिनांक 12.07.2022 के पैरा 4 में उक्त विकास/सौन्दर्यीकरण कार्यों को रुकवाने का भी आग्रह किया जा चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि, "तालाब, पोखर, गढ़ही, नदी, नहर, पर्वत, जंगल और पहाड़ियां आदि सभी जल स्रोत पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं इसलिए पारिस्थितिकीय संकटों से उबरने और स्वस्थ पर्यावरण के लिए इन प्राकृतिक देनों की सुरक्षा करना आवश्यक है। ताकि सभी संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए अधिकारों का आनंद ले सकें।"

अतः श्रीमान जी, से निवेदन है कि झांसी प्रशासन और झांसी नगर निगम के द्वारा लक्ष्मी तालाब का मूल स्वरूप बिगाड़ते हुए, तालाब की जलमगन रहने वाली भूमि पर पाथ वे, सेल्फी प्वाइंट, प्रतिमा स्थापना स्थल आदि के विकास/सौन्दर्यीकरण कार्यों रोकने एवं हटाने का आदेश पारित करने एवं लक्ष्मी तालाब का मूल स्वरूप बिगाड़ने वाले अधिकारियों के विरुद्ध प्रदूषक भुगतान करे का सिद्धान्त (Pollutor Pays Principle) एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत कार्यवाही करने के साथ साथ पर्यावरण एवं न्यायहित में अन्य कोई कार्यवाही जो माननीय न्यायाधिकरण सही तथा उचित समझे कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक 25.03.2023

आवेदनकर्ता/याचिकाकर्ता

नरेन्द्र कुशवाहा

(नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र मुन्नालाल कुशवाहा)
निवासी— पिछोर म.ल.बा. मेडिकल कॉलेज के पीछे,
नारायण बाग के पास झांसी, उत्तर प्रदेश, (284128)
मो 9452041529



415

15



258



417

17



260





Samadhi

chauki

DARHIYAPURA

Police chauki

PO

Lakshmi Tal

Narayana

40

Samadhi

JHANSI

TALPURA


stone quarry

5/2006

Laxmi Talab



20

 GPS Map
Camera Lite

FH4R+CGR, New Galla Mandi Rd, Shivaji
Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh 284002, India

Latitude

252723.27684 N

Longitude

783527.87893 E

Local 04:48:19 PM

GMT 11:18:19 AM

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

21

पूर्व में पानी यहाँ तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।

 GPS Map
Camera Lite

 FH4R+CGR, New Galla Mandi Rd, Shivaji
Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh 284002, India

Latitude

252723.27656 N

Longitude

783527.88775 E

Local 04:48:07 PM

GMT 11:18:07 AM

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

22

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।



 GPS Map
Camera Lite



FH4R+CGR, New Galla Mandi Rd, Shivaji
Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh 284002, India

Latitude

252723.08306 N

Longitude

783527.80466 E

Local 04:47:38 PM

GMT 11:17:38 AM

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

23

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।

 GPS Map
Camera Lite



FH4R+CGR, New Galla Mandi Rd, Shivaji
Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh 284002, India

Latitude

252723.08774 N

Longitude

783527.79667 E

Local 04:47:36 PM

GMT 11:17:36 AM


Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

24

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।

 GPS Map
Camera Lite

 2, Dadiyapura, Shivaji Nagar, Jhansi, Uttar
Pradesh 284002, India

Latitude

252725.23704 N

Longitude

783531.86431 E

Local 04:46:36 PM

GMT 11:16:36 AM

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

25



 GPS Map
Camera Lite



FH6V+HVH Dargah Khaki Shah Baba...दरगाह
खाकी शाह बाबा, Shivaji Nagar, Jhansi, Uttar
Pradesh 284002, India

Latitude

252739.20591 N

Local 04:44:13 PM

GMT 11:14:13 AM

Longitude

783541.38778 E

Altitude 761.15 feet


Monday, 04.11.2024

26

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।



GPS Map
Camera Lite

 FH6V+HVH Dargah Khaki Shah Baba...दरगाह
खाकी शाह बाबा, Shivaji Nagar, Jhansi, Uttar
Pradesh 284002, India

Latitude

252739.25678 N

Local 04:44:05 PM

GMT 11:14:05 AM

Longitude

783541.42573 E

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024



 **GPS Map**
Camera Lite



FH4R+CGR, New Galla Mandi Rd, Shivaji Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh 284002, India

Latitude

252723.08306 N

Longitude

783527.80466 E

Local 04:47:38 PM

GMT 11:17:38 AM

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

28

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।

 GPS Map
Camera Lite

 FH5R+995, Shivaji Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh
284002, India

Latitude

252729.90635 N

Local 04:49:54 PM

GMT 11:19:54 AM

Longitude

783528.33613 E

Altitude 767.71 feet

Monday, 04.11.2024

29

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।

 GPS Map
Camera Lite



FH4R+CGR, New Galla Mandi Rd, Shivaji
Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh 284002, India

Latitude

252724.01398 N

Longitude

783528.09586 E

Local 04:49:05 PM

GMT 11:19:05 AM

Altitude 764.43 feet

Monday, 04.11.2024

30

 GPS Map
Camera Lite

FH4R+CGR, New Galla Mandi Rd, Shivaji
Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh 284002, India

Latitude

252724.06456 N

Longitude

783528.07844 E

Local 04:48:52 PM

GMT 11:18:52 AM

Altitude 764.43 feet

Monday, 04.11.2024

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।



 GPS Map
Camera Lite

 2, Dadiyapura, Shivaji Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh 284002, India

Latitude

252725.22099 N

Longitude

783531.7611 E

Local 04:46:47 PM

GMT 11:16:47 AM

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

32

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।



 GPS Map
Camera Lite



2, Dadiyapura, Shivaji Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh 284002, India

Latitude

252728.86156 N

Local 04:46:11 PM

GMT 11:16:11 AM

Longitude

783510.71348 E

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

33

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।



 GPS Map
Camera Lite



Kamla garden, gate no. 2, Narayan Bagh
Rd, Gumanwara, Shivaji Nagar, Jhansi, Uttar
Pradesh 284002, India

Latitude

252731.864 N

Local 04:45:10 PM

GMT 11:15:10 AM

Longitude

783541.3371 E

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

34

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।



 GPS Map
Camera Lite



Kamla garden, gate no. 2, Narayan Bagh
Rd, Gumanwara, Shivaji Nagar, Jhansi, Uttar
Pradesh 284002, India

Latitude

252731.88725 N

Longitude

783541.29649 E

Local 04:45:07 PM

GMT 11:15:07 AM

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

35

 GPS Map
Camera Lite

FH6V+HVH Dargah Khaki Shah Baba...दरगाह
खाकी शाह बाबा, Shivaji Nagar, Jhansi, Uttar
Pradesh 284002, India

Latitude

252739.33389 N

Longitude

783541.49092 E

Local 04:44:00 PM

GMT 11:14:00 AM

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

36

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।

 GPS Map
Camera Lite

 1047, Narayan Bagh Rd, Shivaji Nagar, Jhansi,
Uttar Pradesh 284001, India

Latitude

252742.39688 N

Local 04:43:13 PM

GMT 11:13:13 AM

Longitude

783538.32429 E

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

37

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।



 GPS Map
Camera Lite



1047, Narayan Bagh Rd, Shivaji Nagar, Jhansi,
Uttar Pradesh 284001, India

Latitude

252742.41272 N

Local 04:43:09 PM

GMT 11:13:09 AM

Longitude

783538.29776 E

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

38

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।

 GPS Map
Camera Lite

 1047, Narayan Bagh Rd, Shivaji Nagar, Jhansi,
Uttar Pradesh 284001, India

Latitude

252742.51964 N

Local 04:43:06 PM

GMT 11:13:06 AM

Longitude

783538.26021 E

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

39

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।

 GPS Map
Camera Lite

 FH7V+2HQ, near Anjani Hanuman Mandir,
Master Colony, Jhansi, Uttar Pradesh 284002,
India

Latitude

252743.99949 N

Local 04:42:27 PM

GMT 11:12:27 AM

Longitude

783537.33112 E

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

40

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।

 GPS Map
Camera Lite

 FH7V+2HQ, near Anjani Hanuman Mandir,
Master Colony, Jhansi, Uttar Pradesh 284002,
India

Latitude

252744.05201 N

Longitude

783537.45943 E

Local 04:42:20 PM

GMT 11:12:20 AM

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

41

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।

 GPS Map
Camera Lite



00, Master Colony, Jhansi, Uttar Pradesh
284002, India

Latitude

252745.62831 N

Longitude

783524.64292 E

Local 04:40:33 PM

GMT 11:10:33 AM

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

42

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।

GPS Map
Camera Lite



00, Master Colony, Jhansi, Uttar Pradesh
284002, India

Latitude

252745.6133 N

Longitude

783524.65689 E

Local 04:40:23 PM

GMT 11:10:23 AM

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

43

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।



 GPS Map
Camera Lite



00, Master Colony, Jhansi, Uttar Pradesh
284002, India

Latitude

252745.62496 N

Longitude

783524.53352 E

Local 04:40:05 PM

GMT 11:10:05 AM

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

44

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।



 GPS Map
Camera Lite



00, Master Colony, Jhansi, Uttar Pradesh
284002, India

Latitude

252745.66683 N

Local 04:39:59 PM

GMT 11:09:59 AM

Longitude

783524.45544 E


Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

45



 GPS Map
Camera Lite

 244/A, Dadiyapura, Purana Sahar, Jhansi, Uttar Pradesh 284002, India


Latitude
252741.84107 N

Longitude
783526.22084 E

Local 04:38:46 PM
GMT 11:08:46 AM

Altitude 777.55 feet
Monday, 04.11.2024

46



 GPS Map
Camera Lite



244/A, Dadiyapura, Purana Sahar, Jhansi, Uttar
Pradesh 284002, India

Latitude

252741.70582 N

Local 04:38:41 PM

GMT 11:08:41 AM

Longitude

783526.18765 E

Altitude 777.55 feet

Monday, 04.11.2024

47

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।

 GPS Map
Camera Lite

 FH6Q+CV8, Dadiyapura, Purana Sahar, Jhansi,
Uttar Pradesh 284002, India

Latitude

252738.64204 N

Local 04:37:59 PM

GMT 11:07:59 AM

Longitude

783524.04219 E

Altitude 767.71 feet

Monday, 04.11.2024

48

पूर्व में पानी यहाँ तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।

 GPS Map
Camera Lite

 FH6Q+CV8, Dadiyapura, Purana Sahar, Jhansi,
Uttar Pradesh 284002, India

Latitude

252738.41229 N

Local 04:37:54 PM

GMT 11:07:54 AM

Longitude

783524.02084 E

Altitude 767.71 feet

Monday, 04.11.2024

49

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।



GPS Map
Camera Lite

 FH6Q+CV8, Dadiyapura, Purana Sahar, Jhansi,
Uttar Pradesh 284002, India

Latitude

252738.09876 N

Longitude

783523.87839 E

Local 04:37:35 PM

GMT 11:07:35 AM

Altitude 777.55 feet

Monday, 04.11.2024

50

 GPS Map
Camera Lite

FH5R+97M, Shivaji Nagar, Jhansi, Uttar
Pradesh 284002, India

Latitude

252732.09411 N

Local 04:36:29 PM

GMT 11:06:29 AM

Longitude

783527.69202 E

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

51



 **GPS Map**
Camera Lite

 **FH5R+995, Shivaji Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh
284002, India**

**Latitude
252729.67113 N**

**Longitude
783528.82724 E**

**Local 04:35:39 PM
GMT 11:05:39 AM**

**Altitude 767.71 feet
Monday, 04.11.2024**

52

तालाब जलकुंभी एवं खर पतवार से भर गया है।



 GPS Map
Camera Lite

 FH5R+995, Shivaji Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh
284002, India

Latitude

252729.66717 N

Longitude

783528.8416 E

Local 04:35:28 PM

GMT 11:05:28 AM

Altitude 767.71 feet

Monday, 04.11.2024

53



 **GPS Map**
Camera Lite

 **FH5R+995, Shivaji Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh**
284002, India

Latitude

252729.31368 N

Longitude

783528.4969 E

Local 04:35:10 PM

GMT 11:05:10 AM

Altitude 767.71 feet

Monday, 04.11.2024

54

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।



GPS Map
Camera Lite

2, Dadiyapura, Shivaji Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh 284002, India

Latitude

252725.22099 N

Longitude

783531.7611 E

Local 04:46:47 PM

GMT 11:16:47 AM

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

55

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।



GPS Map
Camera Lite



Kamla garden, gate no. 2, Narayan Bagh
Rd, Gumanwara, Shivaji Nagar, Jhansi, Uttar
Pradesh 284002, India

Latitude

252731.88725 N

Local 04:45:07 PM

GMT 11:15:07 AM

Longitude

783541.29649 E

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

56

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।



GPS Map
Camera Lite

FH7V+2HQ, near Anjani Hanuman Mandir,
Master Colony, Jhansi, Uttar Pradesh 284002,
India

Latitude

252743.99949 N

Local 04:42:27 PM

GMT 11:12:27 AM

Longitude

783537.33112 E

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।



GPS Map
Camera Lite



FH7V+2HQ, near Anjani Hanuman Mandir,
Master Colony, Jhansi, Uttar Pradesh 284002,
India

Latitude

252744.05201 N

Longitude

783537.45943 E

Local 04:42:20 PM

GMT 11:12:20 AM

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024

58

पूर्व में पानी यहां तक भरा रहता था, जिसे बाहर कर दिया गया है।



GPS Map
Camera Lite

00, Master Colony, Jhansi, Uttar Pradesh
284002, India

Latitude

252745.62496 N

Longitude

783524.53352 E

Local 04:40:05 PM

GMT 11:10:05 AM

Altitude 761.15 feet

Monday, 04.11.2024